नियम एवं मर्यादायें

शिवमणी होम में प्रवेश पाने हेतु नियम

आयु

1. यह अपेक्षा की जाती है कि शिवमणी होम के सभी निवासियों की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिये। सभी आवेदकों को अपनी आयु का प्रमाण देना जरूरी है।

2. प्रबन्धन को यह पूर्ण अधिकार हैं कि वे 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को प्रवेश दे सकते हैं । कोई भी निर्णय प्रबन्धन कार्य वर्ग का स्वयं एवं पूर्ण अधिकार से होगा और उसके लिए प्रबन्धन को कोई भी कारण देने की आवश्यकता नहीं।

रहने की अपेक्षित अवधि

1. सभी आवेदकों को अपनी अपेक्षित रहने की अवधि निवेदन पत्र में देना जरूरी है।

चिकित्सीय प्रकाशन :–

1. आवेदकों को अपना वर्तमान चिकित्सीय विवरण देना जरूरी है।
2. आवेदन प्रकिया के दौरान प्रबन्धन को ये पूर्ण अधिकार है कि आवेदकों को निवेदन करें कि वे ग्लोबल अस्पताल में अपना पुनः परीक्षण कराये। प्रवेश के दौरान अपना पूरा नाम, पता, फोन नम्बर एवं अनुमति पत्र – जब कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जैसे की बड़ी बीमारी, अस्पताल में भर्ती कराना (सर्जरी सहित) या मृत्यु से सम्बधित जो आवेदकों की पूरी जिम्मेवारी उठाये, प्रबन्धन को देना जरूरी है।

शिवमणी होम में प्रवेश के विषय में सम्पूर्ण निर्णय की सूची

1. प्रबन्धन आवेदकों से आवश्यक पूछ–ताछ कर सकते है।
2. सारे निर्णय उचित कारणों को देखकर (आयु,पूछ–ताछ,चिकित्सा-सम्बधित) ही प्रबन्धन द्वारा लिये जायेंगे।
3. प्रवेश के निर्णय का प्रबन्धन को सम्पूर्ण अधिकार है। आवेदकों को यह निवेदन किया जाता है कि वे निर्णय के विषय में कोई कारण नहीं देंगे एवं सभी निर्णय अन्तिम एवं उचित होंगे।

चिकित्सीय उपचार एवं अस्पताल में भर्ती होने हेतु निर्णय

1. बीमारी एवं आपातकालीन परिस्थिति में प्रबन्धन द्वारा आवेदकों को अपने जोखिम एवं खर्चे से ग्लोबल अस्पताल माउन्ट आबू/आबू रोड में भर्ती किया जाएगा। आवेदकों के मित्र–सम्बन्धियों को (आवेदन पत्र के अनुसार) प्रबन्धन के द्वारा सूचित किया जायेगा।
2. शिवमणी होम में भी कोई बीमारी हेतु आवासीय उपचार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अस्पताल के जो भी खर्च एवं दवाइयों के खर्च निवासीयों को ही देने होगें।

3. निवासीयों के मृत्यु की परिस्थिति में उनके मित्र–सम्बन्धियों को फोन द्वारा सूचित किया जायेगा अगर वे उस परिस्थिति में नहीं पहुॅच पाये या सही निर्णय एवं प्रबन्ध नहीं कर पाये तो प्रबन्धन द्वारा उचित निर्णय लिया जायेगा।

वर्जित साधन एवं क्रिया

1. मदिरा,मांसाहारी भोजन, प्याज, लहसुन अन्डे (या कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ) एवं बन्दूक इस परिसर में निषेध है।
2. निवासियों को भारत एवं राजस्थान के सभी सिद्धान्त एवं नियम पालन करना जरूरी है,एवं इनके प्रतिकूल क्रियायें वर्जित हैं।
3. मदिरापान एवं अन्य कोई नशीले पदार्थ, धुम्रपान, मांसाहारी भोजन (अन्डे सहित) या ऐसा कोई खाद्यपदार्थ जिसमें प्याज एवं लहसुन हो, जुआ खेलना या कोई भी स्टाफ मेम्बर को अपना निजी कार्य करवाना ये सभी कार्य निषेध है।
4. कोई भी निवासी बिना निमित्त की अनुमति से भन्डारा,हॉल,स्टोर या अन्य कोई जगह से कोई भी वस्तु उठाना निषेध है, ऐसी क्रिया को भी चोरी माना जायेगा।
5. सभी निवासी अपने निजी कमरे एवं आसपास का परिसर साफ–सुथरा रखें कूड़ा–कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें।
6. जो निवासी रेडियो, टी.वी. एवं मनोरंजनात्मक क्रिया के इच्छुक हैं वे बिना कोई बाधा या अशान्ति से इस्तेमाल करें।
7. अगर किसी निवासी को कोई उलहना या कोई सुझाव देना है तो वे निमित्त व्यक्ति को दे सकते हैं। स्टाफ या अन्य किसी निवासी के बारे में उलहना है तो वे निमित्त व्यक्ति को सुनाये न कि परचिन्तन एवं बहस करें वे निमित्त व्यक्ति से उसका निवारण करें।
8. यहाँ के निवासीयों को परिसर के बाहर जाने की सूचना निमित्त व्यक्ति को देना अनिवार्य हैं। निवासियों के मेहमानों को रजिस्टर में अपना नाम,पता,आने का कारण,एवं यातायात की सूचना, टेलीफोन नम्बर देना अनिवार्य है।
9. निवासी जब परिसर से बाहर जाये तो कमरे की चाबी आफिस में जमा करा कर ही जाये। (थोड़े समय के लिए भी)
10. सभी निवासियों को साफ एवं स्वच्छ रहना जरूरी है जैसे कि रोज स्नान करना एवं स्वच्छ मर्यादित कपड़ें पहनना।
11. स्टैन्डर्ड रूम / बालकनी में भोजन बनाना सख्त मना है।

खान–पान

1. रोज सभी को स्वस्थ एवं सात्विक आहार डाइनिंग हाल में मिलेगा (निजी कमरों में नहीं) चिकित्सीय परिस्थितियों में सूचित करने से प्रबन्ध किया जा सकता है।
2. बिना प्याज एवं लहसुन के सात्विक आहार मिलेगा।

3. अपेक्षित भोजन की सूची इस प्रकार है। प्रबन्धन को ये पूर्ण अधिकार है कि दी गयी सूची में परिर्वतन कर सकते है।

06.00 प्रातः	चाय
08.30 प्रातः	नाश्ता
11.00 प्रातः	फल
01.00 दोपहर	भोजन
04.30 सायं	चाय
08.00 रात्रि	भोजन
10.00 रात्रि	दूध

4. भोजन की सूची निवासियों के निजी स्वास्थ के अनुसार परिवर्तन की जा सकती है।

परिसर की सुरक्षा एवं प्रतिभूति

जबकि शिवमणी होम में सुरक्षाकर्मी को तैनात किया गया है फिर भी निवासी को अपनी कीमती वस्तुयें अपनी जिम्मेवारी पर लायें। वस्तु के खोने एवं चोरी होने पर प्रबन्धन की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी।

दर्शक

1. आने वाले सभी मेहमानों का समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे एवं सायं 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा।
2. निवासियों से यह निवेदन है कि उनके मेहमानो का आचरण उचित रहे। कोई भी वस्तु के नुकसान की जिम्मेवारी निवासियों की रहेगी।
3. आने वाले सभी मेहमानों को निवेदन है कि अपने आने की सूची रिसेप्शन में दें।
4. बिना प्रबन्धन की अनुमति के अन्दर आना निषेध है।
5 पूर्व सूचना देने पर मेहमानों का शिवमणी होम के गेस्ट रूम में रहने का प्रबन्ध किया जायेगा और उसी अनुसार मेहमानों से निर्धारित शुल्क लिया जाएगा।

कमरें की विस्तृत जानकारी एवं वर्णन

शिवमणी के कमरे में अटैच बाथरूम एवं बालकनी सभी कमरों की साइज 176 sq ft (16'x11') बाथरूम की साइज 49 sq ft (9'x 5'6") और बालकनी की साइज 96 sq ft(12'6"x 8') है।

डबल आक्युपेन्सी कमरे में फर्नीचर इस प्रकार से उपलब्ध है।

- 2 बेड, बाक्स स्टाइल वाले जिसमें स्टोरेज उपलब्ध है।
- साइड टेबल
- 2 सिंगल सीट सोफा

- 1 काफी टेबल
- 1 राइटिंग टेबल
- 2 प्लास्टिक की कुर्सियां
- 2 आलमारियॉ

कमरों में 2 ट्युब लाइट, 2 पंखे, नाइटलैम्प,टेलिफोन इन्टरकाम, 2 प्लगप्वाइंट (5 Amp एवं 15 Amp), कूलर एवं स्पीकर।

सभी कमरो में परदे, चद्दर, एक पायदान आदि उपलब्ध है।

बाथरूम की विशेषताये

- युरोपियन स्टाइल WC Support Arms के साथ।
- वाशबेसिन Mixer Taps के साथ।
- वाशबेसिन के उपर आइना
- बाथरूम का परदा
- गरम एवं ठण्डा पानी
- बाथरूम का सामान (बाल्टी, मग आदि)

मनोरंजनात्मक सुविधायें

निवासियो के मनोरंजन के लिए सुविधायें इस प्रकार से है।

- पुस्कालय जिसमें किताबें, पत्रिका, अखबार एवं कम्प्यूटर/इन्टरनेट कनेक्टिविटि
- कमरे के अन्दर खेले जाने वाले खेल जैसे कि केरम।
- सामूहिक टी वी रूम
- योगाभ्यास रूम
- 24 घण्टे नर्सेस की सुविधा
- लिफ्ट
- लान्ड्री
- इलेक्ट्रिकल जनरेटर जिससे लगातार 24 घण्टे बिजली की सुविधा प्राप्त हो सके।
- सैलून जिसमें बाल काटने के लिए नाममात्र खर्च।
- प्रांगण में मीठी ध्वनि बजती रहे।

रोज शान्तिवन से मुरली क्लास का सीधा प्रसारण यहाँ प्रांगण में सुन सकते है। प्रांगण का बाह्य परिसर बगीचे से सुसज्जित है। हर दो मास में निवासियों के लिए प्रबन्धन द्वारा पिकनिक का आयोजन किया जायेगा।

मेहमानों के लिए रहने की अल्पकालिक सुविधा अतिरिक्त शुल्क से की जा सकती है।

ट्रामा सेन्टर एवं आथ्थेल्मिक हास्पिटल से जरूरत पड़ने पर चिकित्सक को बुलाया जा सकता है। सर्दी, बुखार, खॉसी आदि के बीमारी के लिए दवाइयां मुफ्त में दी जा सकती है। मगर खास दवाइयां जो कि गम्भीर बीमारीयों के लिए निवासियों को अपने खर्चे से लानी होगी।

नियमित रूप से चद्दरों को बदलना एवं धोना यह सेवा स्टाफ द्वारा उपलब्ध है।

टेलीफोन की सुविधा जो दी गई है उसे संभाल एवं सावधानीपूर्वक उपयोग करें। निवासियों को फोन करने का भुगतान प्रबंधन द्वारा निर्धारित किए जाने पर देना होगा।

यह अपेक्षा की जाती है कि निवासी सभी के साथ संभाल एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार एवं वातावरण बनाए रखने में सहयोग करेगें।

भुगतान योजना एवं अभिरूचि

हम अपने निवासियों के लिए दो प्रकार की भुगतान योजना की सुविधा प्रदान करते हैं। निवासी कोई एक योजना पसंद कर सकते है जिसमें एक मुश्त रकम (Lumpsum) दे सकते हैं या मासिक रकम, जमा रकम के साथ दे सकते हैं।

ऑक्यूपेन्सी के लिए अतिरिक्त शुल्क, नियम एवं शर्तें

- यह डिपोजिट शुल्क वापिस होगा (नीचे दिए गए शुल्क की कटौती करने के बाद एवं बिना ब्याज के)
- निवासियों से अपेक्षा की जाती है कि वे यहाँ दाखिला लेने के पूर्व अपनी हर मास की 5वीं तारीख तक मासिक शुल्क जमा करायेगें।
- अगर निवासी बीच मास में दाखिला लेते हैं या अगर वे शिवमणी होम से कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं तो भी उन्हें पूरे मास का भुगतान का शुल्क भरना होगा।
- निवासियों के डिपोजिट के खाते से उनके बिल, माँग एवं आवश्यकताओं की कटौती की जाएगी। बाकि रकम शिवमणी होम छोड़ने के सात दिन बाद देय होगा।

- शिवमणी होम की सिक्यूरिटी डिपॉजिट पर कोई भी ब्याज नहीं देगा।

- निवासी एयर–कंडीशन, हीटर, टी.वी., फ्रीज अपने कमरे में लगा सकते हैं (स्वयं के खर्चे से), जो निवासी यह सुविधायें चाहते हैं उन्हें अलग से फीटिंग की रकम एवं मासिक इलेक्ट्रिकल शुल्क चुकाना होगा।

- निवासी जब शिवमणी होम छोड़ना चाहे तो एक मास पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। अगर किसी कारण से सूचना नहीं दे पाए तो एक मास का शुल्क देना होगा या उनके सिक्यूरिटी डिपाजिट से काट दिया जाएगा। अगर निवासी किसी कारण से रूम बदली करना चाहते हैं तो उन्हें एक मास पूर्व सूचना देनी होगी।

प्रबंधन के आरक्षित अधिकार

- प्रबंधन को यह पूर्ण अधिकार है कि वे ऊपर दिए गए नियम एवं विनियमों को बिना किसी पूर्व नोटिस के, नियमों को बदल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, हटर सकते हैं एवं लागू कर सकते हैं, और यह नियम सभी निवासी एवं उनके मेहमानों पर लागू हो सकते हैं।

- निवासियों को किसी भी प्रकार का साधन एवं सुविधायें जिनके भुगतान बाकि है एवं उनके रहने के समय को बढ़ाने सहित, किसी भी प्रकार का अधिकार निवासियों के पक्ष में एवं सुख– सुविधाओं के साधन को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

- प्रबन्धन को ये पूर्ण अधिकार है कि वे किसी भी प्रकार सेवायें रद्द कर सकते हैं (जब उचित समझे)बिना कोई कारण दिये।

- निवासी ये साफ समझ लें कि शिवमणी होम में ठहरने के लिए अधिकारपत्र लेना जरूरी है । उसके लिए किसी भी प्रकार की किरायेदारी एवं अन्य कोई प्रकार का अधिकार निवासी के पक्ष में नहीं होगा । ये रहने का अधिकार/अनुमति स्थानांतरण नहीं है।

- अगर कोई निवासी प्रबंधन के किसी सदस्य एवं कर्मचारी के साथ या किसी अन्य निवासी के साथ या मेहमान के साथ दुर्व्यवहार करें या कोई अन्याय पूर्ण कर्म करें तो उस निवासी को 24 घंटे के अंदर स्थान खाली करने को कहा जा सकता है (या कोई अन्य समय जैसी परिस्थिति उचित समझे।)

- प्रबंधन द्वारा जो समय प्रति समय नियम एवं मर्यादायें बनाये जाये, निवासी उन्हें पूरा पालन करने में सहयोग दें। स्थान को सुरक्षित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबंधन को यह पूर्ण अधिकार है कि वे अतिरिक्त नियम लागू कर सकते हैं। नियम का उल्लंघन करने पर निवासी को स्थान खाली करने को कहा जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी एवं दाखिला फार्म प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।

प्रबंधक
शिवमणी होम,
(ग्लोबल अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर प्रोजेक्ट)
ग्लोबल अस्पताल एवं ट्रामा सेन्टर के पास
तलहटी, आबूरोड, जिला– सिरोही,
राजस्थान (भारत) 307510,
फोन– : 9413372922; 9414092383
वेबसाइट : www.shivmani.org
Email ID: shivmanihome@gmail.com